

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना संख्या 81/2020 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 नवंबर, 2020

सां. आ. . . . (अ) – केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23)की धारा 1 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 नवंबर 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 97 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. सीबीईसी 20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार